

अपील व मुक: करनसिंह vs नाथन तक्षीखार व अन्य मु० न० २१/२०२१

२२/६/२१

अपील के अभिभावक उप० नहीं। रैस्पोजेंस के अभिभावक उप०। अपील के अभिभावक को कई बार आवजें लगवाई गईं। परन्तु अपील के अभिभावक उप० नहीं हुए और ना ही अपील उप० हुआ।

आतः यह अपील, अपील के अभिभावक से अपील के उपस्थित नहीं होने के कारण अरम ~~वगैरह~~ दायरी अरम पेशी में ब्यारिज की जाती है। पचावषी फ़ैसल शुमार दफ़्तर बम्बर से कम की जाकर बाद तकमील शरिखल इफ़तर हो आदेश सुनाया गया।

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलेक्टर, धौलपुर